GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
D.K.S. BHAWAN, MANTRALAYA, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, dated 04.10.2008

F. No. 9511 / D-3020/XXI-B/C.G./08, - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government in consultation with the High Court of Chhattisgarh, makes following further amendment in department notification No. 1507/D-359/XXI-B/C.G./05, dated 24.2.2005 (as amended vide department Notification 7169/F-2157/XXI-B/C.G./05, dated 6.09.2005, No. 5813/D-2084/XXI-B/C.G./07, dated 09.07.2007 and No. 6912/D-2339/XXI-B/C.G./07, dated 08.08.2007), namely; -

AMENDMENT

In Schedule-II of the said notification; -

1. For the entries in column no. 3 & 4 against Serial no. 4 the following shall be substituted, namely; -

S. No.	Name of the Court and District.	Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
		(a) Durg.	(a) Revenue District, Durg Note: He shall try the cases transferred by the Principal Judge, Family Court, Durg.
		(b) Additional place of sitting at Bemetara for a week in the second week of the every month.	(b) Territorial jurisdiction of Civil Court, Bemetara.

2. The entries in column no. 3 (b) and 4 (b) against serial No. 5-A shall be omitted.

फा0 क0 95-11 /डी–3020/21–ब/छ0ग0/08,– कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (कमांक 66 सन् 1984) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से विभाग की अधिसूचना कमांक 1507/डी – 397/21–ब / छ0ग0/05, दिनांक 24.02.05 (संशोधित समसंख्यक विभागीय अधिसूचना कमांक 7169/एफ–2157/21–ब/छ0ग0/05, दिनांक 06.09.05, कमांक 5813/ डी–2084/21– ब/छ0ग0/07, दिनांक 09.07.07 एवं कमांक 6912/ डी–2339/21–ब/छ0ग0/07, दिनांक 08.08.07 के अनुसार) में पुनः निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अनुसूची – दो में, –

1. सरल कमांक 5–ए के सम्मुख, कॉलम नं0 3 एवं 4 की प्रविष्टियां के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् –

अनु0क0	न्यायालय का नाम एवं जिला.	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
		(क) दुर्ग	(क) राजस्व जिला दुर्ग, टीपः – वह प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग द्वारा अंतरित मामलों का विचारण करेगा।
		(ख) बैठने का अतिरिक्त स्थान बेमेतरा, प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में एक सप्ताह के लिए.	(ख) व्यवहार न्यायालय, बेमेतरा का स्थानीय क्षेत्राधिकार.

2. सरल कमांक 5–ए के सम्मुख कॉलम नं0 3 (ख) एवं 4 (ख) की प्रविष्टियां को विलोपित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

14.10.2008

(आर.एस.शर्मा)
सचिव
छ0ग0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृष्ठांकन क्र0 9512/डी–3020/21–ब/छ0ग0/08 रायपुर दिनांक 4 OCT 2008

9512

प्रतिलिपिः –

1. रजिस्ट्रार जनरल, छ.ग. उच्च न्यायालय की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 7798/ III –8–2/2001 दिनांक 23.09.08 के संदर्भ में।
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग।
3. द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग।
4. तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग।
5. माननीय विधिमंत्री जी के निज सचिव की ओर, विधिमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. सचिव विधि के निज सचिव की ओर, सचिव विधि के अवलोकनार्थ।
7. ~~उपसंचालक, क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की ओर।~~
8. छत्तीसगढ़ राजपत्र (आसाधारण) के आगामी अंक में अनिवार्य रूप से प्रकाशनार्थ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1/10/08

(आर.के. तिवारी)
अति. सचिव
छ0ग0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग